भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्याः 280
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मानक वित्तीय अर्हता संबंधी मानदंड

***280. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2019 से अब तक निजी कंपनियों को विमानपत्तन संचालन के ठेके देते समय समुचित प्रक्रिया और मानक वित्तीय अर्हता संबंधी मानदंडों का पालन किया गया है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सामान्य पात्रता मानदंडों, विशेषकर विमानपत्तन संचालन के अनुभव से संबंधित मानदंडों से कोई विचलन हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मानदंडों में ढील दिए जाने के क्या कारण हैं तथा ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), फेयरफैक्स, जीएमआर और जीवीके जैसी सरकारी और अन्य निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों पर लागू मानदंडों से किस प्रकार भिन्न अथवा समान हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"मानक वित्तीय अर्हता संबंधी मानदंड" के संबंध में श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाईअड्डों नामतः अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए बोली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), नीति आयोग की अध्यक्षता में सचिवों के शक्तिप्रदत्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया था। सचिवों के शक्तिप्रदत्त समूह (ईजीओएस) ने बोली प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रावधान शामिल थे जैसे हवाईअड्डा संबंधी कोई पूर्व अनुभव न होना आदि। इन प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि इसमें अधिक बोलीदाता हों, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को छह हवाईअड्डों के पीपीपी प्रस्ताव के लिए 10 निकायों से कुल 32 बोलियां प्राप्त हुईं और तत्पश्चात विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, इन छह हवाईअड्डों को उच्चतम बोलीदाता को पट्टे पर दे दिया गया।

इस बोली प्रक्रिया में सचिवों के शक्तिप्रदत्त समूह (ईजीओएस) द्वारा निर्धारित की गई रूपरेखा से कोई विचलन नहीं हुआ था।

******